न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 521/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गोकलराम पुत्र लिखमाराम माली निवासी ग्राम सेवकी कलां, तह0 बावडी जिला जोधपुर राज0		**राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बावडी, जिला फलौदी**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बावडी आदेश कमांक 394 दिनांक 3.5.19

उपस्थिति –
1. श्री रोशनलाल विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से

निर्णय

दिनांक 29.04.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बावडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2024 के द्वारा तहसीलदार बावडी के नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित ग्राम सेवकी कलां स्थित अपीलांट के खसरा नं0 373 रकबा 27.06 बीघा किस्म बारानी द्वितीय को दो भागों में बांटत हुए खसरा नं0 373 रकबा 21.06 एवं खसरा नं0 373/4 रकबा 6.00 बीघा कुल रकबा 27.06 स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0सं0 1 ने सेग्रीगेशन की कार्यवाही के दौरान अपीलांट के खसरा नं0 373 रकबा 27.06 को दो हिस्सों में खसरा नं0 373 रकबा 21.06 बीघा एवं 373/4 रकबा 6 बीघा में बांटते हुए राजस्व नक्शें में तरमीम करना प्रस्तावित किया गया। जबकि मूल खसरा नं0 373 का सह–खातेदारान में आपसी बंटवाडा के तहत खसरा नं0 373 रकबा 29.07 बीघा अपीलांट के बंट में तथा 373/1 रकबा 13.12 बीघा घमण्डारा के बंट में रखा गया। तत्पश्चात कुछ भूमि नहर में चली जाने से खसरा नं0 373 की शेष रकबा भूमि 27.06 बीघा अपीलांट के बंट में रखी गई। दोनो खातेदार बंटवाडा के अनुसार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मौके पर अलग–अलग काबिज हो गये। वर्तमान सेग्रीगेशन कार्यवाही के दौरान मौके की जांच किए बिना मौका स्थिति के विपरित जगह प्रस्तावित तरमीम के अंकन का आदेश पारित कर दिया गया।, जबकि गुगल मैक के अनुसार अपीलांट व अन्य मौके पर काबिज है। सेग्रीगेशन की कार्यवाही के दौरान मौके पर अपीलांट की उपस्थिति में जांच की जानी आवश्यक है तथा उसके लिए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। अपीलाधीन आदेश मौके एवं कब्जे की जांच किए बिना ही पारित कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अपील के पैरावार प्रत्युतर की ओर ध्यान आकृर्षित करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि सेग्रीगेशन कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान करने पर जिन खसरा नम्बरों में रिकार्ड, मौका तथा नक्शें में भिन्नता आ रही थी। उनमें समानता के लिहाज से अपीलार्थी के खेत खसरा नं0 373 के रेकर्ड एवं नक्शें में शुद्धि हेतु प्रकरण तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया गया था। जिसे निर्णय दिनांक 3.5.19 स्वीकार करने से, निर्णय की अनुपालना में नामान्तरकरण सं0 1671 दिनांक 29.05.2019 स्वीकृत हो गया। जो माफिक निर्णय है, मगर ऑनलाईन नक्शा बनाते समय अपीलार्थी के खसरा नं0 की आकृति एवं बट्टा संख्या का अंकन करने में सहवन से त्रुटी हुई। अर्थात अपीलार्थी के खसरा नं0 373/4 के स्थान पर खसरा नं0 373/1 कर दिया गया और खसरा नं0 373 के दक्षिण का कुछ हिस्सा गलत रूप से पडौसी खातेदार भीयाराम वगैरा का शामिल कर दिया और इस रकबे का रिकॉर्ड में अलग से बट्टा नम्बर दर्ज होना चाहिए था, जो नही किया गया। इस प्रकार वाक्यांतिक तौर पर सेग्रीगेशन कार्यवाही के पश्चात ऑनलाईन की गई तरमीम का नक्शा एवं इस नक्शे में खसरा बट्टा नम्बर का अंकन एवं रकबा का अंकन भी सहवन से गलत दर्ज होना पाया गया। अतः संलग्न फर्द मौका नक्शा एवं फर्द मौका दिनांक 7.11.23 के अनुसार रिकॉर्ड संधारित करने की आज्ञा के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार करना उचित बताया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रथमतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया। द्वितीयतः वर्तमान अपील में स्वयं रेस्पो0–तहसीलदार बावडी ने अपने प्रत्युत्तर व उसके संलग्न फर्द मौका नक्शा एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

फर्द मौका दिनांक 7.11.23 के अनुसार रिकॉर्ड संधारित करने की आज्ञा के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार करना उचित बताया गया।

अतः उपरोक्त स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 394 दिनांक 03.05.2019 को निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी को इस निर्देश के साथ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार बावडी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर व उसके संलग्न फर्द मौका नक्शा एवं फर्द मौका दिनांक 7.11.23 पर अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारो/पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, बाद जांच पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 29 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

29.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर